

न्यायालय:- अंचल अधिकारी, गावाँ जिला-गोरखोह

आदेश फलक

आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा सेरुआ, थाना नं०- 192 के खाता नं०- 25, प्लॉट नं०- 800 कुल रकबा- 0.05 एकड़ बकब्जे लालचंद गोप वो बिहारी गोप सर्वे खतियान में रैयती दर्ज है। बिहारी गोप नावलद फौत कर गये। जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ सं०- 13 भो० 3 पर लाभुक किरण देवी पति- राजेन्द्र प्रसाद यादव के दादा ससुर युगल महतो वगै० के नाम से कायम है, लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। सुकर महतो के तीन पूत्र 1. राजेन्द्र प्रसाद यादव 2. फुलेश्वर यादव 3. विजय प्रसाद यादव साकिन- सेरुआ है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि तीनों भाई का मकान अलग-अलग कच्चा-पक्का मकान पूर्व से निर्मित है। राजेन्द्र प्रसाद यादव की पत्नी किरण देवी साकिन-सेरुआ का पूर्व से मिट्टी का मकान बना हुआ था। अबुआ आवास स्वीकृति मिलने के उपरांत कच्चा मकान को घवस्त कर अबुआ-आवास बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। जैसा कि कच्चा मकान का फोटो संलग्न किया गया है। लाभुक के सास यशोदा देवी पति स्व० सुकर महतो साकिन-सेरुआ के द्वारा शपथ पत्र सं०- 191 दिनांक 11.01.2025 दिया गया है कि मेरे बड़े पूत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव पूर्व से बने कच्चे मकान को तोड़कर मकान बना रहे हैं। जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दो पूत्र फुलेश्वर यादव वो विजय प्रसाद यादव पिता-सुकर महतो उक्त प्लॉट में मकान बनाकर अलग-अलग निवास कर रहे हैं। जिसमें प्रथम पक्ष का कोई आपत्ति नहीं है। फुलेश्वर यादव वो विजय यादव साकिन-सेरुआ के द्वारा बेवजह बलपूर्वक अबुआ आवास निर्माण कराने में रोक लगाया करता है। प्रथम पक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादव पूर्व से मिट्टी के मकान घवस्त हो जाने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुग्गी-झोपड़ी लगाकर वर्तमान में उक्त प्लॉट पर निवास कर रहे हैं। अतः प्रथम पक्ष के पत्नी किरण देवी साकिन-सेरुआ पूर्व से दखलकार है तथा इनके द्वारा निर्माण कार्य करना उचित प्रतीत होता है। इसी निष्कर्ष के साथ अभिलेख की कार्रवाई अंतिम रूप से बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  26-02-25 अंचल अधिकारी गावाँ  26-02-25 अंचल अधिकारी गावाँ।	